

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2016/ 19(120) /XXVII(8)/2012

दिनांक:: देहरादून:: 22 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले द्वितीय त्रैमास की सावधिक विवरणी, 25 दिसम्बर, 2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी०डी०एस० का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव


सं० 1044/2016/19(120)/XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।


अनुक्रम
आवश्यक कार्यवाही करें

उपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

9211
23-11-16

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1044 / 2016 / 19(120) / XXVII(8) / 2012 dated 22 December, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA ANUBHAG-8
NO. 1044 / 2016 / 19(120) / XXVII(8) / 2012
Dehradun :: Dated:: 22 December, 2016

Notification

Where as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the second periodical return for the quarter ending September, 30 related to the assessment year 2016-17 may be filed by a dealer liable to tax or a person responsible for deduction tax at source upto 25 December, 2016 without any late fee, provided that the payment of tax/ composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.


(Amit Singh Negi)
Secretary